न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2016

बउनवान

श्री भागीरथ सिंह मीणा पुत्र श्री बिरधीराम मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

ब्नाम

1–श्री दिनेश कुमार सुमन पुत्र श्री धनराज सुमन निवासी–ग्राम कोयला, पोस्ट–कोयला, तहसील–बारां, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. प्रार्थी प्रतिनिधि (प्रार्थी)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी, अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 31.03.2021

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के विरूद्व विभागीय गबन की राशि 47,92,001/–रूपये मय आगे का ब्याज व खर्चे काबिल वसूली योग्य है। इसलिये अप्रार्थी से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत उक्त राशि वसूल करने के आदेश पारित किये जावे। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी डाटा एन्ट्री ओपरेटर दिनांक 01.08.2008 से मार्च, 2012 तक कार्यरत रहते हुए पोषाहार योजना के साथ साथ अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन बिल व अन्य समस्त सूचना बनाने का कार्य करता था। अप्रार्थी डाटा एन्ट्री ओपरेटर द्वारा वेतन बिलों में हेर फेर कर 47,92,001/– रूपये का गबन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा वेतन बिलों के योग में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, अन्य भत्तों की राशि अंकित कर बिलों के सकल योग को बढाया गया तथा खातों में राशि स्थानान्तरित कराते समय राशि को बैंक जमा सी.डी. में [illegible] खातों में स्थानान्तरित करके गबन किया गया। इस गबन का पता [illegible] तत्कालीन अति0 जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी [illegible], बारां द्वारा दिनांक 11.03.2012 को एफ.आई.आर. क्रमांक 183 [illegible] व सह आरोपियों के विरूद्ध दर्ज करवाई तथा प्रकरण की विशेष जांच निदेशा[illegible] निरीक्षण विभाग रा[illegible] जयपुर द्वारा कराई गई। माह जून 2011 से माह दिसम्बर 2011 तक वेतन बिलों के योग में अधिक राशि अंकित कर जिन व्यक्तियों के बचत बैंक खातों में राशि स्थानान्तरित की गई उनका विवरण निम्नांकित है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम	बचत खाता संख्या	बैंक का नाम जिसमे खाता है	कुल जमा राशि	खातों में जमा अन्य राशि	कुल गबन राशि
1	श्री दिनेश कुमार सुमन	6107261623	एसबीबीजे	1236233	3128	1205105
2	श्री रघुवीर सुमन	61073191018	एसबीबीजे	1456288	95617	1360671
3	श्री विनोद सुमन	61080071619	एसबीबीजे	999128	813	998315
4	श्री विष्णु वैष्णव	61096966024	एसबीबीजे	1100352	88238	1012114
योग				4792001	215796	4576205

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी तरीक से 4792001 रू. स्वंय एवं अन्य व्यक्तियों के खाते में जमा कर गबन किया। विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी से उक्त गबन राशि 47,92,001/–रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा बाकीदार/अप्रार्थी के विरूद्व 47,92,001/–रूपये बकाया होने पर अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 03.02.2017 को धारा–4 (प्रपत्र–2) में राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत राशि 47,92,001/–रूपये काबिल वसूल होने के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

3– अप्रार्थी को राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत धारा–6 (प्रपत्र–3) में पत्रांक 198 दिनांक 03.02.2017 से इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आपके विरूद्व इस न्यायालय में जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन (प्रमाणपत्र) विचाराधीन है, यदि आप उक्त बकाया राशि 47,92,001/– रूपये बकाया होने से इन्कार करते है तो आप इस नोटिस की तारीख जब आपको मिले, उस तारीख से 30 दिवस के अन्दर बकाया इन्कारी की याचिका मय आवश्यक दस्तावेज के पेश करे, यदि आप उचित कारण बताने में असमर्थ रहे तो आपसे उक्त राशि की वसूली राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के तहत मूल रकम मय ब्याज 13 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित एक मर्तबा में वसूल की जावेगी। जब तक आप रूपये 47,92,001/–रूपये मय ब्याज व कलेक्शन चार्जेज सहित जमा नहीं करा देवे, तब तक आपको अपनी चल–अचल सम्पत्ति या उसका भाग बेचान, दान अथवा अन्य किसी भी तरीके से खुर्द–बुर्द कराने अथवा हस्तान्तरित करने [illegible] बीच में या आपको जब से नोटिस मिले, तब से आपने अपनी जायद[illegible] को [illegible]पाने, हटाने व बेचने की कोशिश की तो इस प्रमाणपत्र का तत्काल निष्पादन कर [illegible] जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी। नोटिस के साथ प्रमाणप[illegible] धारा–4 राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न क[illegible]ायी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

4– न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस 03.02.2017 मय प्रमाणपत्र जर्ये तहसीलदार, बारां तामील हेतु भेजने पर, अप्रार्थी को दिनांक 13.02.2017 को

नोटिस व्यक्तिशः तामील हुआ है। तामीली नोटिस बाद तामील दिनांक 08.03.2017 को प्राप्त हुआ है, जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी नोटिस की तामील होने के बावजूद न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ इस पर अप्रार्थी को पत्रांक 350 दिनांक 16.03.2017 से स्वंय/प्लीडर के माध्यम से नियत दिनांक 30.03.2017 को उपस्थित होने हेतु जर्ये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी को यह नोटिस व्यक्तिशः दिनांक 24.03.2017 को तामील हुआ तथा तामीली नोटिस बाद तामील दिनांक 30.03.2017 को प्राप्त हुआ जो शमिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब नोटिस पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।

5— अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है किः— It is submitted that through the aforesaid notice, a demand notice (requisition certificate) demanding Rs. 47,92,001/- has been instituted by the applicant under the provisión of section 4 Rajasthan Public Demand Recovery Act 1952 and my client has been directed to show cause against the same within a period of 30 days from the date of notice failing which it has been stated that the aforsaid amount shall be recovered alongwith an interest of 13% of the original amount apart from 10% collection charges in one time. It has also been stated in the notice that I have been restrained to alienate my properties in any manner till I deposit the demanded amount Rs. 47,92,001/- and it has also been told that I shall be responsable for the execution of the notice and thereafter I have been told that I can deposit the aforesaid amount through Money order I wish.

That an Annexure has also been attached to the notice in prescribed form no. 2 as per section 2 of the Rajasthan Public Demand Recovery Act 1952 stating therein that the amounts pertains to June 2009 to Feb. 2012 pertaining to alleged misappropriation of the salary bills prepared by computer operator and thereafter depositing the same the account and therefore it has been certified that an amount of Rs. 47,92,001/- is pending recovery against me which is within limitation and the same has been issued under the sign and seal of the Court.

It is submitted that an FIR No. 183/2012 was registered against the non-applicant Dinesh Suman & Ors. by the office of the Addl. Distict Education Officer/Block Primary Education Officer, Pnachayat Samiti Baran on 29.2.2012 alleging the offence u/s 409/120-B IPC, alleging therein that Dinesh Kumar Suman was working under the local office of the Addl. District Education Officer on Contract on 1.8.2008. It was further submitted in the FIR that the contract Period of Dinesh Kumar was increased till March 2012 and thus in the 1st week of March 2012, the undersigned Dinesh Kumar had made some forged entries and prepared forged documents and had drawn the amounts against the rules after preparing the soft copies.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

It was further alleged that a fact of withdrawing the amount from the ATM has also been noticed which is alleged to be an economic offence and thus it has been stated in the FIR that the undersigned is responsible and thereafter Dinesh Kumar Gupta, cashier had found a difference of Rs.62,732/- and information to the same effect was furnished to the superior officers and on the basis of the same the undersigned alongwith Vinod Suman, Vishnu Vaishnav, Raghu Suman was found to be involved in the scam, it was also stated in the FIR that no one amongst the aforesaid is a Govt. Servant.

It was further stated in the FIR that an amount of Rs. 12,36,233/- apart from some major amount was deposited in the personal account after committing forgery and thus the undersigned was projected as a principal accused alongwith other co-accused.

It is submitted that on the basis of aforesaid FIR, a case u/s 409/120-B IPC was registered against the petitioner and ors. and thereafter the petitioner was arrested for the alleged offence.

It is submitted that during the course of the investigation by the police agency, the statement of several witnesses recorded by the police but nothing incriminating was recovered from the undersigned but the FIR has already been registered hence after remaining for more tan 4 months, the Hon'ble High Court granted the indulgence of the Bail to the undersigned after considering the fact that he was a computer operator who was a contractual employee who was assigned the work of preparation of salary bills and nothing more.

The Hon'ble High Court has also considered a particular aspect of the matter that the bill can only be passed jointly by the Accounts Officer, Cashier and other Officers of the Department. It is submitted that after the indulgence of the bail has been granted by the Hon'ble Court to the undersigned, the trial in the matter is still going on before the Addl. District Judge, Baran wherein the prosecution is yet to examine the testimony of the witnesses recorded by them during the course of investigation and thereafter the court shall subject the witnesses so examined by the prosecution to the cross examination by the defense counsel engaged by the undersigned.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

It is also submitted that unless and until any verdict is passed by the court of law, the undersigned cannot be considered to the person who has committed the alleged offence. It is also submitted that it is upto the court to examine the materials placed on record if necessary, the court can still take cognizance against the officers of the department, involved in

the passing of the bills and committing the loss to the exchequer of the state while exercising the powers conferred u/s 319 Cr.P.C. if the involvement of the officer or other person of the Department is found and thus some new accused can also be added during the course of trial even prior to pronouncement of the final judgement by the court.

As per the criminal jurisprudence, the accused is considered to be innocent until he is awarded conviction. It is also submitted that the accused undersigned is still innocent so far as criminal jurisprudence is considered. It is also submitted that he is undergoing trial which will remove different layers of corruption which was prevent in the Department. It is also submitted that the accused/undersigned was a contractual employee working under contractor on a fixed remuneration was not involved in any sort of transaction even the accused undersigned was not the signing authority who can put his impression over the cheques which have passed resulting in the loss to the exchequer.

It is also submitted that it is too early to initiate the proceedings against the undersigned accused under the provisión of Rajasthan Public Demand Recovery Act 1952 as yet no inference can be drawn against the undersigned. It is also submitted that the trial of the accused starts considering him to be the innocent person and the burden lies upon the prosecution to proved the accused as a guilty. It is also submitted that the plea of innocence, with which the trial of an accused starts, continues to remain with the accused until it is decided by the final court of Appeal. The plea of innocence neither weakened by the conviction nor gets strengthen by the acquittal and thus the demand which has been raised against the accused under the Act of 1952 is a very hasty proceedings because te accused undersigned is still undergoing the trial and thus issuinh such notices against him is otherwise bad in the eyes of law. The amount of Rs. 47,92,001/- is not a little amount , nor the recovery of the same on the instance of the accused undersigned has been proved before the court. It is also submitted that statement of the witnesses recorded u/s 161 Cr.P.C. by the olice has no evidentiary value unless the witness who alleges is subjected to cross examination and reveals the fact which can only be appreciated by the court where the trial of the accused undersigned is in progress. The constitution of the India has also given some rights of property as per Article [illegible]A and the same cannot be curtailed on the instance of the complainant who himself has to examined before the court to prove the guilt of the accused. If the prosecution succeed in proving his case beyond all reasonable doubt that case only such notice, as has been issued, can be entertained otherwise it shall be against the principals of natural justice.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

It is submitted that public demand as defined under the Act as per Schedule means any arrear of money mentioned or referred to in the scheduled to the Act and includes any interest which may by law be chargeable thereon upto the date of signing of certifícate in respect thereof under section 4. It is also submitted that the provisión of this Act applies only where there is a failure to comply payment of loan or where a party has entered into an agreement with the State Govt. or officer of the Govt. It is submitted that the undersigned had neither entered in any agreement nor rendered any services. It is submitted that the undersigned was the mere emloyee who had worked under the contractor.

It is also submitted that the applicant, who has filed the application and the certifícate of public demand cannot recover the amount alleged unless and until the alleged offence for which the FIR was registered by the applicant is proved before the Court.

It is therefore respectfully submitted that the annexed explanation on behalf of the undersigned may kindly be taken on record and the matter may kindly be kept in abeyance till the disposal of the criminal case lodged against the undersigned by the Department. It is also submitted that the undersigned shall not be able to recover the amount for which the requisition certifícate has been issued in casew the undersigned gets acquittal in the present case by the court after the criminal proceedings are over.

Hence It is respectfully prayed that your honour may kindly be pleased to take into consideration the aforesaid submissions in form of the reply to the notice issued to the undersigned, however, the undersigned undertakes that he shall not attempt any action which would deteriorate the sancity of the undersigned.

6— प्रार्थी ने प्रकरण से संबंधित बताये गये फौजदारी प्रकरण के सम्बन्ध में लिखित जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी दिनेश कुमार सुमन पुत्र श्री धनराज सुमन निवासी कोयला तह0 बारां जो स्थानीय कार्यालय में दिनांक 01.08. 2008 से पोषाहार मद में अनुबन्ध पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। संविदा शर्तों के अनुसार कार्यालय द्वारा अवधि बढाते हुये मार्च 2012 के प्रथम सप्ताह तक कार्यरत रहते पोषाहार [illegible] कार्यालय के अन्य कार्य यथा कर्मचारियों के वेतन, अन्य समस्त प्रकार [illegible] तैयार करने का कार्य करता था। कार्यरत रहने के दौरान वेतन बिलों [illegible] प्रविष्टियां कर तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सॉफ्ट[illegible] के जरिये अपने स्वंय के व अपने तीन साथियों के खाते में नियम विरूद्ध तरीके से ट्रांसफर कर रू. 47,92,001/— का गबन किया इस पर ततकालीन अति. शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रा0 शि0 अधि0 बारां श्री गिरजाशंकर द्वारा दिनांक 11.03.2012 को थाना कोतवाली बारां में प्राथमिकी दर्ज कराने पर प्रकरण संख्या 262/2012 बउनवान सरकार बनाम दिनेश वगै0 अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

धारा 420, 409, 468, 120बी आई0पी0सी0 व 43झ, 65, 66 आई0टी0एक्ट 2000 माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, बारां में प्रकरण दर्ज हुआ जो वर्तमान में जैरकार है।

माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना है। इसलिये चार्ज शीट में दोषी बताये गये अभियुक्तगणों की चल अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर गबन की राशि की भरपाई किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित फरमावें।

7– हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं प्रार्थी स्वंय की सुनी गयी।

8– बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी डाटा एन्ट्री ओपरेटर दिनांक 01.08.2008 से मार्च, 2012 तक कार्यरत रहते हुए पोषाहार योजना के साथ साथ अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन बिल व अन्य समस्त सूचना बनाने का कार्य करता था। अप्रार्थी डाटा एन्ट्री ओपरेटर द्वारा वेतन बिलों में हेर फेर कर 47,92,001/– रूपये का गबन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा वेतन बिलों के योग में शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, अन्य भत्तों की राशि अंकित कर बिलों के सकल योग को बढाया गया तथा खातों में राशि स्थानान्तरित कराते समय राशि को बैंक जमा सी.डी. में स्वंय अपने साथियों के बचत खातों में स्थानान्तरित करके गबन किया गया। अप्रार्थी द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी तरीक से 4792001/– रू. स्वंय एवं अन्य व्यक्तियों के खाते में जमा कर गबन किया। विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी से उक्त गबन राशि 47,92,001/–रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

इसी संबंध में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, बारां में प्रकरण संख्या 262/2012 बउनवान सरकार बनाम दिनेश वगै0 अन्तर्गत धारा 420, 409, 468, 120बी आई0पी0सी0 व 43झ, 65, 66 आई0टी0एक्ट 2000 जैरकार है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में काफी समय लगने की सम्भावना है। इसलिये चार्ज शीट में दोषी बताये गये अभियुक्तगणों की चल अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर गबन की राशि की भरपाई किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

9– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रकरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, बारां में प्रकरण संख्या 262/2012 बउनवान सरकार बनाम दिनेश वगै0 अन्तर्गत धारा 420, 409, 468, 120बी आई0पी0सी0 व 43झ, 65, 66 आई0टी0एक्ट 2000 जैरकार प्रकरण में होना है।

अप्रार्थी संविदा पर नियुक्त कार्मिक है इस तथ्य को अप्रार्थी की जमानत के समय माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। इस बाबत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस की मद नं. 8 का अवलोकन फरमावें "That during the course of the investigation by the police agency, the statement of several witnesses recorded by the police but nothing incriminating was recovered from the undersigned but the FIR has already been registered hence after remaining for more than 4 months, the Hon'ble High Court granted the indulgence of the Bail to the undersigned after considering the fact that he was a computer operator who was a contractual employee who was assigned the work of preparation of salary bills and nothing more"

हस्तगत प्रकरण राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 की धारा–6 से 11 की तारीफ में नहीं आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को निरस्त फरमावें।

10– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी दिनेश कुमार सुमन पुत्र श्री धनराज सुमन निवासी कोयला तह0 बारां जो स्थानीय कार्यालय में दिनांक 01.08.2008 से पोषाहार मद में अनुबन्ध पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। संविदा शर्तों के अनुसार कार्यालय द्वारा अवधि बढाते हुये मार्च 2012 के प्रथम सप्ताह तक कार्यरत रहते पोषाहार कार्य के साथ साथ कार्यालय के अन्य कार्य यथा कर्मचारियों के वेतन, अन्य समस्त प्रकार की सूचनायें तैयार करने का कार्य करता था। कार्यरत रहने के दौरान वेतन बिलों में अवैध प्रविष्टियां कर तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सॉफ्टकॉपी सी0डी0 के जरिये अपने स्वंय के व अपने तीन साथियों के खाते में नियम विरूद्ध तरीके से ट्रांसफर कर रू. 47,92,001/– का गबन किया, जो अपने आप में स्वतः सिद्ध अपराध हो गया। चूंकि राजकीय राशि कभी भी और किसी भी स्थिति में स्वंय के या किसी अन्य के व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित करना सरकारी नियमों के विरूद्ध होता है। विभागीय स्तर पर अप्रार्थी को दोषी मानकर, अप्रार्थी से उक्त गबन राशि 47,92,001/–रूपये वसूल करने हेतु जन मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत रिक्वीजेशन प्रस्तुत कर, उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिक्वीजेशन प्रमाणपत्र वसूली योग्य पाया जाता है।

10– परिणामस्वरूप, प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्री दिनेश कुमार सुमन पुत्र श्री धनराज सुमन निवासी कोयला तह0 बारां से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 47,92,001/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रतिलिपि मय प्रमाणपत्र धारा–4 अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति बारां जिला–बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested